# छत्तीसगढ़ औद्योगिक नियोजन (स्थायी आदेश) नियम, 1963

1. **संक्षिप्त नाम** – से नियम छत्तीसगढ़ औद्योगिक नियोजन (स्थायी आदेश) नियम 1963 कहलायेगें।

2. **परिभाषाएँ** – इन नियमों में, जब तक प्रसंग से अन्यथा अपेक्षित न हो

(एक) "**अधिनियम**" से तात्पर्य छत्तीसगढ़ औद्योगिक नियोजन (स्थायी आदेश अधिनियम, 1961 क्रमांक 26 सन् 1961)

(दो) "**उपाबन्ध**" (Annexure) से तात्पर्य इन नियमों से संलग्न उपाबन्ध से हैं;

(तीन) "**प्रारूप से**" (Form) तात्पर्य इन नियमों से संलग्न प्रारूप से है; और

(चार) "**धारा**" से अर्थ अधिनियम की धारा से है;

3. **संशोधन प्रस्तुत करने की प्रक्रिया** – (1) धारा 7 की उपधारा (1) के अधीन संशोधन प्रस्तुत करने के लिए आवेदन-पत्र प्रारूप (A) में होगा–

(2) धारा 7 की उपधारा (2) के प्रयोजन के लिए कर्मचारियों की विशिष्टयाँ प्रारूप (ए) में वर्णित विशिष्टियों के अतिरिक्त निम्नलिखित होंगी –

(ए) नियोजित कर्मचारियों की संख्या;

(बी) ठेकेदार (ठेकेदारों) के माध्यम से नियोजित किये गये कर्मचारियों की संख्या;

(सी) उस व्यवसाय संघ या व्यवसाय संघों के, यदि कोई हों, नाम जिनसे कि कर्मचारीगण संबंध रखते हों; एवं

(डी) यदि आवेदन-पत्र व्यवसाय संघ द्वारा दिया जाये तो उसकी सदस्यता का नवीनतम अंक।

(3) एक ही उद्योग में के नियोजकों का समूह या कर्मचारियों के प्रतिनिधि जो धारा 7 की उपधारा (3) में निर्दिष्ट किये गये संशोधनों का संयुक्त प्रारूप प्रस्तुत करने के इच्छुक हों यथास्थिति ऐसे समूह या प्रतिनिधियों द्वारा इस सम्बन्ध में प्राधिकृत किये गये व्यक्ति के माध्यम से प्रारूप "ए" में आवेदन करेंगे और उपधारा (2) में वर्णित विशिष्टियों के अतिरिक्त निम्नलिखित विशिष्टियां प्रारूप के साथ प्रस्तुत करेंगे;

(ए) समूह का गठन करने वाले यथास्थिति नियोक्ताओं की या कर्मचारियों के प्रतिनिधियों की सूची, प्रत्येक उपक्रम के नाम तथा पूरे पते सहित; और

(बी) समूह में के नियोजकों या कर्मचारियों के प्रतिनिधियों द्वारा संयुक्त रूप से हस्ताक्षरित इस आशय का एक घोषणा पत्र (Declaration) कि यथास्थिति उसका गठन करने वाले उपक्रम अथवा उपक्रम के कर्मचारी संशोधन के संयुक्त प्रारूप में दी गई शर्तों का पालन करेगें।

---

नोट - ये नियम सरकार की अधिसूचना क्रमांक 9556/9727/16 दिनांक दिसम्बर, 1962 द्वारा बनाये गये है, जो दिनांक 22 मई 1964 लागू हुए हैं;

Scanned by CamScanner

**4. संशोधनो का प्रमाणन** – नियम 3 के अधीन आवेदन पत्र प्राप्त होने पर प्रमाणकर्ता अधिकारी यथा शीघ्र उसकी एक प्रति "(A)" नियोजकों को, जब आवेदक कर्मचारियों का प्रतिनिधि हो या "(B)" कर्मचारियों के प्रतिनिधि को, जब आवेदक उपक्रम का नियोजक हो, प्रारूप "(B)" में एक सूचना सहित भेजेगा।

**5. स्थाई आदेश भेजने की पद्धतियाँ**– धारा 8 की उपधारा (3) के अनुसरण में प्रमाणित किये गये स्थायी आदेश स्थास्थिति नियोजक को तथा कर्मचारियों के प्रतिनिधियों को पंजीकृत डाक द्वारा भेजे जायेंगे।

**6. स्थायी आदेशों का रजिस्टर** – धारा 12 के अधीन रखे जाने के लिए वंधित रजिस्टर प्रारूप "(सी)" में होगा और उसको समुचित रूप से जिल्द बंधी हुई होगी। प्रमाणकर्ता अधिकारी स्थायी आदेशों की प्रति उसके लिए आवेदन करने वाले किसी भी व्यक्ति को, प्रत्येक प्रति के लिये पाँच रूपये शुल्क की देनगी करने पर देय होगी।

**6-ए. अनुसूची में समाविष्ट अतिरिक्त विषय** – अधिनियम की अनुसूची में मद चौदह के पश्चात् निम्नलिखित मद जोड़ी जाये, अर्थात्"

[1]["पन्द्रह-सेवा निवृत्ति की आयु"]

[2][**7. स्थायी आदेश की विरचना** - अधिनियम की धारा 6 के उपबन्धों के अध्याधीन रखते हुए, ऐसे सभी उपक्रमों के लिये, जिनको कि अधिनियम लागू होता है स्तरीय स्थायी आदेश वे होंगे जो कि परिशिष्ट में दिये गये हैं।]

---

1. नियम 6-ए राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक 5782/9676/16 दिनांक 19-10-1963 द्वारा जोड़ा गया एवं अधिसूचना दिनांक 2-11-73 म. प्र. गजट पृष्ट - 770 पर प्रकाशित।
2. नियम 7 राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक 968-9050-16 दिनांक 27-2-1971 द्वारा म. प्र. राज पत्र दिनांक 26-3-71 पृष्ठ 138 पर प्रकाशित।

Scanned by CamScanner

# प्ररूप

## प्ररूप ए

(नियम 3 देखिये)

### स्थायी आदेयों के संशोधन के लिए आवेदन-पत्र

दिनांक..............19

प्रति,

प्रमाणन पदाधिकारी,

.......................(स्थान)

मैं एतद् निम्नलिखित उपक्रम (उपक्रमों) को प्रभावी होने वाले स्थायी आदेशों के संशोधन के लिए आवेदन करता हूँ –

2. वह पता, जिस पर उत्तर भेजा जाना है ................................................................

3. (ए) उन स्थायी आदेशों का संदर्भ जिनका संशोधन चाहा गया है ......................................

(बी) उन स्थायी आदेशों का क्रमांक जिनका संशोधन चाहा या ......................................

4. (उन स्थिति में प्रभावी नहीं होगा जब आवेदन पत्र कर्मचारियों की ओर से हो) मैं सम्बन्धित उपक्रम का नियोजक होने के नाते यह आवेदन पत्र देने का हकदार हूँ।

या

मैं नियोजक के समूह/कर्मचारियों* के प्रतिनिधि की ओर से यह आवेदन-पत्र देने का हकदार हूँ, संलग्न प्राधिकार टिप्पणी देखिये।

(उस भाग को काट दीजिए जो लागू न हो)

(कृपया रिक्त स्थान भरिये)

5. पदाधिकारी या सम्बन्धित कर्मचारियों प्रतिनिधि/अनुमोदित रजिस्ट्रीकृत व्यवस्था संघ के रूप में, मैं नियम 3 के अधीन यह आवेदन पत्र देने का हकदार हूँ।

6. प्रारूप संशोधन की कागज के केवल एक ओर मुद्रलिखित पाँच प्रतियाँ जिनमें संशोधन उपदर्शित किये गये है, संलग्न है। प्रस्तावित संशोधन का औचित्य संशोधन के सामने वर्णित हैं।

7. नियम 3 के उप नियम (2) तथा (3) द्वारा अपेक्षित विशिष्टियाँ संलग्न हैं।

हस्ताक्षर.............................

स्थान.................................

पदनाम...............................

नियोजक की दशा में उपक्रम का नाम तथा कर्मचारियों की दशा में व्यवसाय संघ का नाम।

*जो लागु न हो उसे काट दीजिए।



## प्ररूप बी

(नियम 4 देखिये)

### सूचना

.........................(उपक्रम का नाम तथा पता) के लिए स्थायी आदेशों संशोधनों के प्रमाणन के विषय में,

प्रति,

नियोजक (नाम तथा पता) ................................................................

या

कर्मचारियों के विहित प्रतिनिधि (बतलाइये कि क्या वे प्रतिनिधि संघ, अनुमोदित संघ राष्ट्रीयकृत व्यवसाय संघ श्रम पदाधिकारी है) ................................................................

.................................... द्वारा प्राप्त की गई ......................................

के स्थायी आदेशों के प्ररूप संशोधनों की प्रति संलग्न है। कृपया इस बात का ध्यान रखें कि ऐसी आपत्तियाँ यदि कोई हों जो आप संशोधन के प्रारूप के सम्बन्ध में उठाना चाहतें हो, इस सूचना सहित प्रारूप संशोधनों की प्रति आपके प्राप्त होने के दिनांक से पन्द्रह दिन के अन्दर निम्न पते हस्ताक्षरकर्ता को प्रस्तुत की जानी चाहिए।

उन स्थायी आदेशों की भी, जिनमें संशोधनों का किया जाना प्रस्तावित हो, एक प्रति संलग्न है।

स्थान — प्रमाणकर्त्ता अधिकारी

दिनांक* — मध्यप्रदेश

## प्ररूप सी

(नियम 6 देखिए)

### रजिस्टर

#### भाग एक-उपक्रम

| क्रमांक | प्रथम बार धारा 8 के अधीन आदेशों की प्रमाणीकृत की गई प्रति के प्रेषण का दिनांक | अपील यदि कोई हों, फाईल किये जाने का दिनांक | विनिश्चय का दिनांक तथा स्वरूप | अपील में किया कोई संशोधन यदि कोई हों | स्थाई आदेशों की, जो अपील में निश्चित किये गये हों, प्रति के प्रेषण का दिनांक | किसी संशोधन की बाद में दी गई या प्राप्त हुई सूचना | परिणाम |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) |

Scanned by CamScanner

**भाग दो**

(इसमें स्थाई आदेशों की प्रमाणीकृत प्रति सम्मिलित होनी चाहिए)

प्रति,

नियोजक (नाम तथा पता) ..............................................................

या

कर्मचारियों के विहित प्रतिनिधि (बतलाइये कि क्या वे प्रतिनिधि संघ, अनुमोदित संघ राष्ट्रीय व्यवसाय संघ श्रम पदाधिकारी है) ..............................................................

.............................................................. द्वारा प्राप्त की गई ..............................

के स्थाई आदेशों के प्ररूप संशोधनों की प्रति संलग्न है। कृपया इस बात का ध्यान रखें कि ऐसी आपत्तियाँ यदि कोई हो जो आप संशोधन के प्रारूप के सम्बन्ध में उठाना चाहतें हो, इस सूचना सहित प्रारूप संशोधनों की प्रति आपके प्राप्त होने के दिनाँक से पन्द्रह दिन के अन्दर निम्न हस्ताक्षरकर्ता को प्रस्तुत की जानी चाहिये।

उन स्थायी आदेशों की भी, जिनमें संशोधनों का किया जाना प्रस्तावित हो, एक प्रति संलग्न है।

स्थान                                                            प्रमाणकर्त्ता अधिकारी

दिनाँक                                                            मध्यप्रदेश

---



# परिशिष्ट
# ANNEXURE

## राज्य में सभी उपक्रमों हेतु मानक स्थायी आदेश

1. **परिभाषाएँ** – इन नियमों में, जब तक प्रसंग से अन्यथा अपेक्षित न हो –

(ए) **"प्रबन्धक"** से तात्पर्य, यदि उपक्रम कारखाना हो, कारखाना अधिनियम, 1948 के अधीन प्रबन्ध के रूप में नामनिर्दिष्ट किये गये व्यक्ति से या उस व्यक्ति से है, जिसे कोई उपक्रम इन स्थायी आदेशों के प्रयोजनों के लिए प्रबन्धक के रूप में नाम निर्देशित करें और उसमें उसके (व्यक्ति के) द्वारा प्राधिकृत किया गया व्यक्ति सम्मिलित है।

**टिप्पणी**

इस परिशिष्ट के आइटम 1 (ए) के अंतर्गत महाप्रबन्धक द्वारा डिपो प्रबन्धक को मैनेजर घोषित किया गया।

**संदर्भ – [म. प्र. परिवहन निगम विरूद्ध श्रम न्यायालय, जबलपुर क्र. 2, अपील क्रं. 12, निर्णय दिनांक 29-10-1969 द्वारा औद्योगिक न्यायालय।]**

(बी) **"ऋतुकाल (सीजन)"** से तात्पर्य प्रत्येक वर्ष की उस कालावधि या उन कालावधियों से हैं जिनके दौरान ऋतुकालिक (सीजनल) उपक्रम का मुख्य कार्य किया जाता हो।

2. **कर्मचारियों का वर्गीकरण** – कर्मचारियों का वर्गीकरण इस प्रकार किया जायेगा- (एक) स्थायी, (दो) स्थायी ऋतुकालिक, (तीन) परिवीक्षाधीन (चार) बदली, (पाँच) शिशिक्षु और (छः) अस्थायी –

(एक) **"स्थायी"** कर्मचारी वह है जिसमें स्पष्ट रिक्त स्थान एक या अधिक पदों पर चाहें परिवीक्षाधीन रूप में या अन्यथा छः मास की संतोषजनक कारखाने सम्बन्धी सेवा पूर्ण कर ली हो या वह व्यक्ति है जिसका नाम उपस्थिति नामावली (मस्टर रोल) में प्रविष्ट किया गया हो तथा जिसे स्थायी कर्मचारी का टिकट दिया गया हो;

**टिप्पणी**

छः मास की कालावधि की गणना करने में वे दिन सम्मिलित किये जायेगें जिनमें कर्मचारी प्राधिकृत अवकाश, रूग्णता, प्रसुति-अवकाश, दुर्घटना, तालाबंदी तथा हड़ताल (जो अवैध न हो) या उपक्रम के बन्द हो जाने के कारण अनुपस्थित था।

**[संदर्भ – (1) 1995 एम. पी. एल. एस. आर-432**
**(2) 1992 जे. एल. जे. - 570]**

[1][(दो) **"स्थायी ऋतुकालिक कर्मचारी"** वह कर्मचारी" वह कर्मचारी है जिसने किसी ऋतुकाल (सीजन के दौरान स्पष्ट रिक्त स्थान में ऋतुकाल की अवधि में से 2/3 अवधि के बराबर अथवा तीन मास, जो भी कम, हो, की सेवा पूरी कर ली हो और उस इन स्थायी आदेशों के प्रयोजनों के लिए स्थायी कर्मचारी समझा जायेगा;]

(तीन) **"परिवीक्षाधीन"** से तात्पर्य ऐसे कर्मचारी से है जिसे स्पष्ट रिक्त स्थान की पूर्ति

1. क्रमांक 1 द्वारा प्रतिस्थापित [28-5-1965]

Scanned by CamScanner

करने के लिए अस्थाई रूप से (प्रावीजनली) नियोजित किया गया हो और जिसने कुल मिलाकर छः माह की संतोषजनक सेवा पूरी न की हो;

[संदर्भ – (1) 1996, एम. पी. एल. एस. आर-236]

(चार) **''बदली''** कर्मचारी से तात्पर्य ऐसे कर्मचारी से है जिसे अस्थायी रूप से अनुपस्थित रहने वाली स्थायी कर्मचारी या परिवीक्षाधीन या स्थायी ऋतुकालिक कर्मचारी के पद पर नियोजित किया गया हो;

[संदर्भ – 1996, म. प्र. ला. ज. 822]

(पाँच) **''शिशिक्षु''** से तात्पर्य शिक्षार्थी से है परन्तु ऐसा कोई भी कर्मचारी, शिशिक्षु के रूप में वर्गीकृत नहीं किया जाएगा यदि उसने कुल मिलाकर एक वर्ष का प्रशिक्षण प्राप्त कर लिया हो किन्तु यह और भी कि शिशिक्षुता की अपेक्षाकृत लम्बी समयावधि अपेक्षाकृत होगी यदि वह किसी विधि या किसी पंचाट द्वारा या कर्मचारियों के प्रतिनिधि के साथ हुए अनुबंध द्वारा विहित की जाये।

**टिप्पणी**

(1) [संदर्भ –1988, एम. पी. एल. एस. आर.-87]

(2) यदि कर्मचारी दैनिक वेतन पर भी कार्य करता है तो उसे छःमाह बाद स्थायी कर्मचारी का दर्जा प्राप्त हो जाता है। [989, जे.एल.जे.-36]

(3) [1997, एम.पी.एल.एस.आर-100]

(छः) **''अस्थायी कर्मचारी से''** अर्थ, ऐसे कर्मचारी से है, जो ऐसे कार्य के लिए नियोजित किया गया हो जो मुख्यतः अस्थाई प्रकृति का हो या जो स्थाई प्रकार के कार्य में हुई अस्थाई वृद्धि के सम्बन्ध में अतिरिक्त कर्मचारी के रूप में अस्थाई रूप से नियोजित किया गया हो, किन्तु यदि ऐसे कर्मचारी से निरन्तर छःमाह से अधिक समय तक कार्य करने के लिए अपेक्षा की जाये तो उसे उपयुक्त खंड (एक) के तात्पर्य के अन्तर्गत स्थायी कर्मचारी समक्षा जायेगा **[Notes-1996,-MPLSR-49]**

3. टिकट आदि – (1) प्रबन्धक सभी कर्मचारियों के नाम उपस्थित नामावली में, वर्गीकरण उपदर्शित करते हुए, प्रविष्ट करवायेगा।

(2) प्रबन्धक लिपिकीय पर्यवेक्षकीय या तकनीकी कर्मचारी वर्ग के कर्मचारियों को छोड़कर प्रत्येक कर्मचारी को एक-एक टिकट देने की व्यवस्था करेगा जिस पर–

(एक) उस विभाग का नाम जिसमें वह कार्य कर रहा हों;

(दो) उसके सेवा में प्रविष्ट होने का दिनांक;

(तीन) उसका क्रमांक; एवं

[1][(तीन-ए) दैनिक उपस्थिति का अभिलेख; और];

(चार) ऐसी अन्य विशिष्टयाँ, जिन्हें प्रबन्धक उचित माने,।

यदि प्रबन्धक द्वारा इस तरह अपेक्षित किया जाये, तो कर्मचारी, दैनिक कार्य प्रारम्भ करने का पूर्व अपना टिकट दे देगा परन्तु वह टिकट पारी समाप्त होने के पूर्व कर्मचारी को वापस कर दिया जायेगा

1. राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक 369/8835/XVI दिनांक 22-1-1965, द्वारा प्रतिस्थापित।



यदि प्रबन्धक द्वारा प्राधिकृत किसी व्यक्ति द्वारा ऐसा करने के लिए अपेक्षित किया जाय, तो कर्मचारी टिकट दिखलायेगा या उसमें प्रविष्टियाँ की जाने के लिए उसे पेश करेगा।

तकनीकी, पर्यवेक्षकीय कर्मचारी वर्ग तथा लिपिकों के लिए टिकट के बजाय सेवा पुस्तिका दी जा सकेगी।

[1][(3) (एक) प्रत्येक बदली कर्मचारी को एक ''बदली कार्ड'' दिया जायेगा जिसमें वे दिन प्रविष्ट किये जायेंगे जिनमें कि उसने उपक्रम में कार्य किया है और वह यदि उसे स्थायी नियोजन प्राप्त हो जायेगा या अभ्यर्पित कर दिया जायेगा।

(दो) प्रत्येक अस्थायी कर्मचारी को एक ''अस्थाई कार्ड'' दिया जायेगा जिसमें वे दिन प्रविष्ट किये जायेंगे जिनमें कि उस उपक्रम में कार्य किया है और वह उसके सेवा मुक्त किए जाने या बदली या स्थायी रजिस्टर पर लिए जाने पर अभ्यर्पित कर दिया जायेगा।]

[2][(तीन) ... ... ... ...]

(चार) प्रत्येक शिशिक्षु को एक ''शिशिक्षु कार्ड'' दिया जायेगा जिसमें वे दिन लिखे जायेंगे जिनमें कि उसने उपक्रम में काम किया है, जो वह, यदि उसे स्थाई नियोजन प्राप्त हो जाये, अभ्यर्पित कर दिया जायेगा।

(पाँच) इस खण्ड में विनिर्दिष्ट कार्डों में ऊपर उपखण्ड (2) में विनिर्दिष्ट जानकारी भी रहेगी।]

4. **भर्ती** – यह प्रावधान लागू होने की तारीख से छः माह के समय में प्रबन्धक कर्मचारियों की भर्ती करने के लिए प्रक्रिया निर्धारित करेगा तथा उसे सूचनाफलक पर, जिस पर कि स्थायी आदेश प्रदर्शित किये जाते हैं, अधिसूचित करेगा तथा उनकी प्रतिलिपि श्रम आयुक्त को भेजेगा।

[3][4-ए. **नियुक्ति पत्र** - प्रत्येक कर्मचारी को एक नियुक्ति पत्र जिसमें अन्य जानकारियों के अतिरिक्त, उसका नाम, उम्र, शिक्षा, पद, वर्गीकरण, वेतनमान, भत्ता, कार्य का स्वरुप, विभाग का नाम आदि दर्शाया जावेगा।]

5. **कर्मचारियों की कार्य की कालावधियाँ तथा घण्टें, अवकाश, वेतन-दिवस एवं मजदूरी की दर प्रज्ञापित करने की रीति** – (ए) उपक्रम में प्रत्येक पारी के कर्मचारियों के प्रत्येक वर्ग एवं समूह के लिये कार्य की कालावधियों तथा घण्टें दर्शाने वालू सूचनाएँ सम्बन्धित विभाग में, समय पाल (टाईम-कीपर) के कार्यालय में तथा उपक्रम के मुख्य प्रवेश-द्वार पर या उसके समीप इस प्रयोजन हेतु रखे गये सूचनाफलकों, पर प्रदर्शित की जायेगी।

(बी) उन दिनांकों को, जिनको कि मजदूरी चुकाई जानी हो, उल्लेखित करने वाली सूचनाएँ समयपाल के कार्यालय में तथा उपक्रम के मुख्य प्रवेश-द्वार पर या उसके समीप रखे गये सूचनाफलकों पर प्रदर्शित की जायेगी।

(सी) समय दर वाले (टाईम रेटेड) कर्मचारियों के प्रत्येक वर्ग की देय मजदूरी की दरें भत्तें, यदि कोई हों, पृथक रूप से दशार्ते हुए, तथा खण्ड दर वाले (पीस-रेटेड) कर्मचारियों के सम्बन्ध में मजदूरी की दरों की संगणना कर आधार उल्लिखित करते हुए सूचनाएँ उन विभागों के अन्दर जिनमें कि संबंधित कर्मचारी वस्तुतः काम कर रहे हो, आसानी से दिखने वाले स्थानों पर प्रदर्शित की जायेगी।

(डी) प्रत्येक सप्ताह में एक दिन खण्ड (ए) में उपबन्धित की गई रीति में ऐसी मजदूरी के देनगी

1. राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक 968/9050/XVI दिनांक 26-3-1971 द्वारा जोड़े गये।
2. राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक 5167/3541/XVI दिनांक 7-8-1981 द्वारा लोप किया गया।
3. राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक 7 दिनांक 27-3-1987 द्वारा जोड़ा गया।

Scanned by CamScanner

दिवस के रूप में अधिसूचित किया जायेगा जो कि किसी कर्मचारी को शोध्य हो, किन्तु जो उसका दावा न किये जाने के कारण सामान्य वेतन दिवस पर न चुकाई गई हो।

(इ) कर्मचारियों के शोध्य मजदूरी की देनगी, जिसके बारे में दावा न किया गया हो, इस स्थाई आदेश के अधीन अधिसूचित किये गये दिवसों को उस दिनांक के, जिसको कि कर्मचारी द्वारा या उसकी ओर से उसके वैध प्रतिनिधि द्वारा कर्मचारी को निर्धारित मजदूरी शोध्य होने के दिनांक से तीन वर्ष के भीतर प्रस्तुत किया गया हो, पश्चात् के दिवसों को प्रबन्धक द्वारा की जायेगी।

(एफ) बीड़ी निर्माण करने वाले उपक्रम की दशा में, प्रबन्धक उस समय की सूचना भी प्रदर्शित करेगा जबकि पत्तों तथा तम्बाकू का वितरण किया जायेगा एवं निर्मित बीड़ियाँ उसके द्वारा प्राप्त की जायेगी, और प्रबन्धक प्रत्येक मजदूरों को दिये गये पत्तों तथा तम्बाकू की मात्रा उसके द्वारा बनाई गई तथा प्रबन्धक को परिदत्त की गई भिन्न-भिन्न प्रकार की बीड़ियाँ तथा खराब किस्म की होने के कारण अस्वीकार की गई बीड़ियों की संख्या दर्शाने वाला अभिलेख (रिकार्ड) रखेगा।

6. **पारी-कार्य** – (ए) पारी - कार्य फेक्टरीज एक्ट, 1948 (कारखाना अधिनियम, 1948) (क्र. 63 सन् 1948) के अनुसार, जहाँ कहीं भी वह प्रभावी होता हो तथा यथापूर्वोक्त के अधीन रहते हुए किन्हीं भी करारों, समझौतों या पंचाटों के अनुसार विनियमित किया जायेगा।

(बी) जैसा कि उपरोक्त के अधीन रहते हुए पूरे उपक्रम में या एक या एक से अधिक अनुभागों या विभागों में एक से अधिक पारियाँ चलाई जा सकेंगी।

(सी) जब भी कभी कोई अतिरिक्त पारी आरंभ की जाय या जब कभी भी पारी के कार्य के घंटों में तब्दीली की जाय, तो सात दिन की सूचना दी जायेगी।

(डी) जब कभी भी कोई पारी बंद की जाय तो एक मास की सूचना दी जायेगी, परन्तु जहाँ कहीं किसी स्थायी कर्मचारी के सेवोन्योचित किये जाने की संभावना हो, तो उस पारी को बन्द करने के पूर्व तीन मास की सूचना दी जायेगी।

(इ) किसी कर्मचारी या किन्ही कर्मचारियों की एक पारी से दूसरी पारी में तब्दीली करार, समझौता या पंचाट द्वारा तथा उनके अभाव में रूढ़ि या प्रथा द्वारा विनियमित की जायेगी। प्रबन्धक अपने विवेकानुसार किसी कर्मचारी की एक पारी से दूसरी पारी में अन्तरित कर सकेगा यदि ऐसा अन्तरण उपक्रम के हित में हो।

(एफ) पारी या पारियों के बन्द किये जाने के परिणामस्वरूप होने वाली कर्मचारियों की छटनी इन्डस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट, 1947 (औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947) के उपबन्धों के अनुसार विनियमित की जायेगी, परन्तु स्थायी कर्मचारी की छटनी की दशा में स्थायी आदेश 6.

(जी) में उपबन्धित किए गए के अनुसार तीन मास की सूचना छटनी के पूर्व दी जायेगी।

(एच) यदि कोई उपक्रम चाहे किसी पारी को पुनः आरम्भ करने या अन्यथा अतिरिक्त कर्मचारियों को नियोजित करने का प्रस्ताव करे तो प्रबन्धक छटनी किए गए कर्मचारियों को नियोजन का प्रथम अवसर देगा। यदि कोई अतिरिक्त पारी प्रारम्भ की जाये तो कम से कम एक सप्ताह की सूचना नोटिस बोर्ड पर लगायी जायेगी और हिन्दी के ऐसे समाचार-पत्र में जिसका कि स्थानीय परिचालन अधिक हो, प्रकाशन की जायेगी।



7. **उपस्थिति तथा देरी से आना** – (ए) समस्त कर्मचारी निर्धारित एवं अधिसूचित किये गये समय पर उपक्रम में कार्य पर उपस्थित होगे। देरी से उपस्थित होने वाले कर्मचारियों को बाहर रोका जा सकेगा और वे अनुपस्थित माने जा सकेगें, परन्तु ऐसे किसी कर्मचारी को बाहर नहीं रोका जायेगा जो कि कार्य के घन्टो के प्रारम्भ के समय से पाँच मिनिट के भीतर उपस्थित हो जाये। देरी से आने वाले कर्मचारी बिना अवकाश के अनुपस्थिति नहीं माने जायेगे किन्तु उन्हें ऐसी कोई भी छुट्टी दी जा सकेगी जो कि उन्हें देय हो।

(बी) ऐसा कोई भी कर्मचारी जो कार्य के घन्टों को दौरान अनुज्ञा के बिना या पर्याप्त कारण के बिना अपने कार्य के उचित स्थान से अनुपस्थित पाया जाये, उसकी अनुपस्थिति की कालावधि के लिए अनुपस्थित जिम्मेदार होगी, और अनुपस्थिति की समयावधि की उसकी मजदूरी पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट (मजदूरी संदाय अधिनियम) की धारा 9 के उपबन्धों के रहते हुए काटी जा सकेगी।

टीप – [देखें 1991 एम.पी.एल.एस.आर.-241]

8. **अवकाश और पूर्व छुट्टियों के लिए आवेदन करने की शर्त तथा प्रक्रिया और वह प्राधिकारी जो उन्हें मंजूर कर सकेगा** – (ए) पर्व छुट्टियाँ एवं सवेतन या वेतन रहित अवकाश या किसी अन्य प्रकार के अवकाश उपक्रम को लागू विधि के उपबन्धों द्वारा तथा उसके अधीन विहित किये गये न्यूनतम के अधीन रहते हुए, रूढ़ि, प्रथा करार समझौता या पंचाट के द्वारा विनियित किये जायेंगे।

(बी) कोई कर्मचारी जो अनुपस्थिति-अवकाश प्राप्त करना चाहता हो, प्रबन्धक अथवा उसके द्वारा प्राधिकृत पदाधिकारी को आवेदन करेगा। प्रबन्धक अथवा पदाधिकारी का यह कर्तव्य होगा कि वह सप्ताह में इस प्रयोजन हेतु नियत दो दिवसों में उन आवेदन पत्रों पर आदेश पारित करे, परन्तु यदि माँगा गया अवकाश अर्जेन्ट (urgent) प्रकार का हो, अर्थात् वह आवेदन के दिनांक को या उसके तीन दिन के भीतर प्रारम्भ होता हो, तो अवकाश की मंजूरी या अस्वीकृत के आदेश अविलम्ब सूचित किये जावेगे।

(सी) अवकाश की मंजूरी या यदि उसे मंजूर करने से इन्कार कर दिया गया हो, तो ऐसी इन्कार उसके कारणों सहित कर्मचारी के टिकट या सेवा पुस्तक में अभिलिखित की जायेगी।

(डी) यदि कोई कर्मचारी अवकाश पर चले जाने के पश्चात् मंजूर किये गये अवकाश को बढ़ाना चाहता हो, तो वह उसके लिए, प्रबन्धक या उसके द्वारा प्राधिकृत पदाधिकारी को, लिखित में आवेदन करेगा। ऐसी वृद्धि की मंजूरी या अस्वीकृत का लिखित उत्तर कर्मचारी को अवकाश की वृद्धि के लिए दिये गये आवेदन पत्र में उसके द्वारा दिये गये पते पर भेजी जायेगी।

[1][(ई) ........................]

[2][8-ए **अवकाश दिन**– कर्मचारी प्रतिवर्ष मजदूरी सहित तीन राष्ट्रीय अवकाश दिनों अर्थात् गणतंत्र दिवस, स्वतंत्रता दिवस एवं गाँधी जयन्ती और पाँच उत्सव अवकाश दिनों हेतु हकदार होगे। नियोजक द्वारा उत्सव अवकाश दिन का निर्धारण कर्मचारियों के प्रतिनिधियों के परामर्श से किया जायेगा तथा नियत दिनों को उपदर्शित करते हुए एक सूचना नोटिस बोर्ड पर चिपकाई जायेगी।

1. राज्य सरकार की अधिसूचना क्र. 5167-3541 XVI दिनांक 7-8-1981 द्वारा लोप किया गया राजपत्र दिनांक 21-8-81 के पेज 270 पर प्रकाशित।
2. राज्य सरकार की अधिसूचना क्र. 1004-1034-XVI दिनांक 21-2-1975 द्वारा जोड़ा गया।

Scanned by CamScanner

परन्तु केवल वे कर्मचारी, जो ऐसे अवकाश, दिनों के जैसी भी स्थितियों पूर्ववर्ती दिन या उत्तरवर्ती दिन वास्तविक रूप से काम करे, ऐसे अवकाश दिनों का लाभ प्राप्त करने के हेतु हकदार होंगे।

[1][परन्तु यह और कि इस खण्ड की कोई भी बात किसी संविदा, करार परिनिर्धारण या पंचाट के निबंधनों, जो कर्मचारी के लिए अधिक लाभदायक हो, के प्रवर्तन पर विपरीत प्रभाव नहीं डालती ।]

[2][8-बी (1) यदि सतत् प्रक्रिया, अवकाश सेवा अथवा प्रचलित प्रथा के अन्तर्गत किसी उपक्रम में राष्ट्रीय या उत्सव अवकाश के दिन किसी कर्मचारी के लिए मजदूरी सहित राष्ट्रीय अवकाश अथवा उत्सव अवकाश के दिन मजदूरी सहित कार्य लेने पर अवकाश वेतन, कार्य का वेतन तथा एक दिन के अतिरिक्त वेतन का भुगतान किया जाएगा ।]

(2) कैलेन्डर माह के आधार पर वेतन प्राप्त करने वाले कर्मचारी के लिए मजदूरी सहित राष्ट्रीय अवकाश अथवा उत्सव अवकाश का समायोजन यदि निर्माणी अधिनियम, 1984 (सन् 1948 का क्रमांक 63) की धारा 52 के अनुसार किया जाता है अथवा मजदूरी सहित अवकाश का दिन कर्मचारी के साप्ताहिक विश्राम के दिन आता है तो कर्मचारी को ऐसे अवकाश के दिन हेतु उसकी सामान्य वेतन दर के अनुसार अतिरिक्त वेतन भुगतान किया जायेगा ।]

[3][8-सी **आकस्मिक अवकाश–** इस विषय पर किसी संविदा, करार, समझौता या पंचाट की शर्तों, जो कर्मचारियों के लिए ज्यादा हितकारी है, के अधीन रहते हुए –

(1) स्थाई कर्मचारियों को एक कैलेण्डर वर्ष में 7 दिन का वेतन सहित आकस्मिक अवकाश दिया जायेगा।

(2) अस्थाई और बदली कर्मचारियों को, जिन्होंने पिछले वर्ष में 240 दिन कार्य किया हो, 7 दिन का वेतन सहित आकस्मिक अवकाश एक कलेन्डर वर्ष में दिया जायेगा।

**स्पष्टीकरण** – 240 दिन की गणना फेक्टरी एक्ट, 1948 की धारा 79 के प्रावधानों के अनुसार की जाएगी।

(3) सामान्यत: एक समय में दो दिन से अधिक आकस्मिक अवकाश देय नहीं होगा।

(4) उस स्थिति को छोड़कर जिसमें पूर्व में अनुमति प्राप्त करना संभव हो, आकस्मिक अवकाश का उपभोग प्रबन्ध की अनुमति से किया जायेगा, उस स्थिति में जिसमें कि पूर्व अनुमति लेना सम्भव नहीं है, कर्मचारी प्रबन्धक को यथासम्भव शीघ्रता से ऐसी अनुपस्थिति की तथा समयावधि की लिखित सूचना देगा।

**9. निर्धारित द्वारों से परिसर में प्रवेश करने की अपेक्षा तथा तलाशी लेने का दायित्व–** (ए) कोई भी कर्मचारी उपक्रम तथा विभाग के परिसर में इस प्रयोजन हेतु नियत किये गये द्वार या द्वारों को छोड़कर अन्य प्रकार से न तो प्रवेश करेगा और न ही वहाँ से जायेगा।

(बी) महिला कर्मचारियों को सम्मिलित करते हुए समस्त कर्मचारी अपने कब्जे में होने वाली चीजों तथा वस्तुओं का उपक्रम के रक्षा प्रहरी कर्मचारी वृन्द या इस प्रयोजन के हेतु नियुक्त किसी अन्य

1. राज्य सरकार की अधिसूचना क्रं, 5167-354 XVI दिनांक 21-8-1981 द्वारा प्रतिस्थापित।
2. राज्य सरकार द्वारा राजपत्र दिनांक 21-8-81 के पेज 270 पर प्रकाशित ऊपर आदेशा अधिसूचना द्वारा जोड़ा गया।
3. राज्य सरकार अधिसूचना द्वारा क्र. 5167-3541 XVI दिनांक 21-8-1981 द्वारा जोड़ा गया।



व्यक्ति द्वारा परीक्षा किये जाने के लिये अभ्यार्पण करेंगे तथा रक्षा प्रहरी कर्मचारी सम्यक या इस प्रयोजन हेतु इस प्रकार नियुक्त किए गये व्यक्ति द्वारा निरूद्ध किये जाने एवं दो साक्षियों की उपस्थिति में तालाशी ली जाने में भी भागी होंगे, परन्तु महिला कर्मचारी के तलाशी, दो महिला साक्षियों की उपस्थिति में, तलाशी लेने वाली महिला द्वारा ली जाएगी।

**10. कामबन्दी अस्थाई रोध तथा काम बिना रहने देना आदि –** (ए) यन्त्र के ब्रेक डाउन विद्युत प्रदाय में रोध, अग्नि, व्यापक रोग, लोक विक्षोभ, महाविपत्ति या नियोजक के नियंत्रण से बाहर किसी अन्य हेतुक की स्थिति में वह, किसी भी समय सम्पूर्ण या उसके किसी भाग, या किसी मशीन को, जिस पर महाविपत्ति या उसके हेतुक से प्रत्यक्षत: या परोक्षत: प्रभाव पड़ा हो, बिना सूचना के युक्तियुक्त समयावधि के लिए पूर्णत: या अंशत: बन्द कर सकेगा।

(बी) कार्य के घण्टों के दौरान खण्ड (बी) के अधीन कार्य-रोध की स्थिति में, प्रभावित कर्मचारियों का, यथासाध्य शीघ्र सम्बन्धित विभाग के तथा समयापाल के कार्यालय के सूचनाफलक पर सूचना चस्पाकर या सूचना दी जायेगी कि कार्य कब पुनर्ग्रहण किया जायेगा और यह कि क्या उन्हें उपक्रम के परिसर में रुकना है या वहाँ से चला जाना है। उपक्रम में निरोध की समयावधि, कालावधि कार्यरोध प्रारम्भ होने के बाद सामान्यतः दो घण्टे से अधिक नहीं होगी, और इस प्रकार निरूद्ध किये गये प्रत्येक दो कर्मचारी को घन्टे या उससे कम के लिए एक चौथाई दिन के अनुपात में मजदूरी (जिसमें समस्त भत्ते शामिल हैं) प्राप्त करने से हकदार होंगे, परन्तु वह मजदूरी जो कि वह निरोध सम्बन्धित मजदूरी को शामिल करते हुए प्राप्त करे उसके सामान्य दिन की मंजूरी से अधिक नहीं होगी। खण्ड-दर (Piece-rate) वाले कर्मचारियों के मामले में, पूर्व मंजूरी की समयावधि में की दैनिक औसत कमाई दैनिक समझी जायेगी।

(सी) जब भी कभी साध्य हो सामान्य कार्य के पुनर्ग्रहण की युक्तियुक्त सूचना दी जायेगी।

(डी) कोयला, विद्युत या जल या कच्चे माल, कच्चे मालों की कमी या स्टाक के परिसंचय, उत्पादन में अस्थायी संक्षिप्त करने का काम या इसी प्रकार के कारणों से, सम्बन्धित कर्मचारियों की इत्तिला के लिए यथासंभव एक सप्ताह की सूचना प्रदर्शित करके, उपक्रम द्वारा कर्मचारियों को काम बिना रहने दिया जा सकेगा।

(इ) नियोजक कर्मचारियों को दो माह की सूचना और ऋतुकालिक कर्मचारियों के प्रकरणों में 15 दिन की सूचना देने के बाद किसी भी विभाग या किसी विभाग के अनुभाग अथवा सम्पूर्ण उपक्रम को बन्द कर सकेगा। यथास्थिति विभाग, अनुभाग या उपक्रम का पुनः खोलने के पूर्व कर्मचारियों को कम से कम सात दिन की सूचना दी जायेगी।

(एफ) यथास्थिति विभाग, किसी विभाग के अनुभाग या सम्पूर्ण उपक्रम को पुनः खोले जाने पर, प्रबन्धक छटनी किये गये ऐसे कर्मचारियों को, जो पुनर्नियोजन के लिये स्वयं को प्रस्तुत करते हो, युक्तियुक्त सूचना देगा और छटनी किये गये उन कर्मचारियों को, जो एक पखवाड़े के अन्दर पुनर्नियोजन के लिए स्वयं को प्रस्तुत करें, सेवा-अवधि के अनुसार अन्य व्यक्तियों की तुलना में अधिमान दिया जायेगा।

[1][(जी) इस स्थाई आदेश के अन्तर्गत दी गई सूचनाओं की प्रतियाँ नियोजक द्वारा तुरन्त सम्बन्धित क्षेत्र के शासकीय श्रम पदाधिकारी को भेजी जाएगी ।]

1. राज्य सरकार की अधिसूचना क्र. 369-8835-XVI दिनांक 22-1-1965 द्वारा जोड़ा गया।

Scanned by CamScanner

**11. नियोजक का पर्यवसान और नियोजक तथा कर्मचारी द्वारा उसकी सूचना दी जाना-** (ए) जब किसी स्थायी कर्मचारियों का नियोजन समाप्त किया जाना हो, तो उसे एक माह की सूचना दी जाएगी या उस सूचना के स्थान में एक माह के मजदूरी की मंजूरी दी जाएगी। स्थायी कर्मचारी को छोड़कर कोई भी अन्य कर्मचारी अपनी सेवाओं के पर्यवसान (Termination) के लिए किसी ऐसी सूचना या उसके स्थान में मंजूरी का हकदार नहीं होगा।

(बी) सेवा के पर्यवसान के कारण लिखित किये जाएंगे और उनकी संसूचना कर्मचारी को दी जाएगी, यदि प्रबन्धक की राय में ऐसी संसूचना, प्रत्यक्षतः या परोक्षतः कम्पनी अथवा प्रबन्धक या ऐसी सूचना पर हस्ताक्षर करने वाले व्यक्ति को कर्मचारी की प्रेरणा पर सिविल या दाण्डिक कार्यवाहियों का भागी न बना दे।

(सी) कोई भी स्थायी कर्मचारी जो नियोजन छोड़ना चाहता हो, अपने विभागीय पदाधिकारी को वह, कारण दर्शाते हुए जिससे कि वह नियोजन छोड़ रहा हो, एक मास की सूचना देगा, किन्तु यदि वह ऐसी अपेक्षा करे, तो उसे उस दिनांक से जिसको सूचना दी समयावधि समाप्त होती हो, पूर्व भी अवमुक्त किया जा सकेगा।

(डी) ऋतुकाल (सीजन) समाप्त हो जाने पर किसी स्थायी ऋतुकालिक कर्मचारी के नियोजन की समाप्ति हेतु किसी भी सूचना की आवश्यकता नहीं होगी, किन्तु वह आगामी ऋतुकाल प्रारंभ होने पर अपने पद पर अपना धारणाधिकार रखेगा।

### टिप्पणी

(1) औद्योगिक (स्तरीय स्थाई) अधिनियम 1961 के स्थाई आदेश 11 एवं म.प्र. राज्य सड़क परिवहन निगम रेगूलेशन 69 क्या अनुरूप है दोनों की विसंगतियों में स्थाई आदेश ''आज्ञापक'' है जो रेग्यूलेशन 69 पर अभिभावी है, क्योंकि स्थाई आदेश 11 में सेवा समाप्ति के कारणों का उल्लेख होता है।

**[देखें विश्व बन्धु विरुद्ध म. प्र. सड़क परिवहन निगम, 1978 (एम.पी.) आई.एल.सी-53]**

(2) स्तरीय स्थाई आदेश 11 (ए) प्रबन्धन को श्रम न्यायालय के समक्ष दुराचरण प्रमाणित करने का अवसर नहीं दिया जा सकेगा यदि आदेश सिम्पली सीटर डिस्चार्ज का।

**[देखेंः भगत सिंह विरूद्ध डिपो प्रबन्धक म.प्र.रा.परि. निगम 1985-एम.पी.एल.एस.आर 10 = 1984 (49) एफ. एल. आर. पेज-357 अवलंवित।]**

(3) कर्मचारी को धारा 11ए के अंतर्गत सेवा पृथक किया गया तथा नोटिस पगार, छटनी मुआवाजा की रकम दी गई उक्त सेवा समाप्ति को श्रम न्यायालय द्वारा अवैध व अनुचित प्रतिपादित किया क्योंकि सेवा समाप्ति का कारण मानक आदेश 11 (बी) के अनुसार सेवा पृथक आदेश में लिखा जाना चाहिए था अतः आदेश 11 (बी) के पालन के अभाव में अपीलान्ट की अपील औद्योगिक न्यायालय ने अस्वीकार कर श्रम न्यायालय के पुनः स्थापित आदेश को हस्तक्षेप योग्य नहीं माना जिसका समर्थन न्यायादृश्टांत। **1984 एम.पी. एल. जे. पेज 402 से होता है।**

**[म.प्र. रा. परि. निगम विरूद्ध महेश चंद्र पटेल - 1990 एम.पी.एल.एस.आर. - 263]**



(4) 11 (बी) - किसी स्थाई कर्मचारी की सेवायें म. प्र.रा. परि. निगम द्वारा समाप्त की गई - सेवा समाप्ति का कारण सेवा पृथकीकरण आदेश में उल्लेखित होना चाहिये व तदनुसार कर्मचारी को सूचित किया जाना मान्य किया गया। नियम 11 (बी) के पालन के अभाव में याचिकाकर्ता कर्मचारी को याचिका स्वीकार की गई।

**[श्रीधर विरूद्ध म.प्र.रा.परि. निगम; 1977-म.प्र. वी.नो. 177 उच्च न्यायालय (डी.बी.)]**

**12. अवचार के लिए अनुशासनात्मक कार्यवाही** – (1) कर्मचारी की ओर से निम्नलिखित कार्य या कार्य लोप गंभीर दुराचरण समझे जायेंगे, –

(ए) ऐसे किसी अपराध के लिए, जिसमें नैतिक अधःपतन अन्तर्ग्रस्त हो, किसी विधि न्यायालय द्वारा रोष सिद्धि;

(बी) उपक्रम के कारबार या सम्पत्ति के सम्बन्ध में चोरी, कपट या बेईमानी;

(सी) रिश्वत या कोई अवैध परितोषण देने या लेना;

(डी) किसी वरिष्ठ के किसी ऐसे विधिपूर्ण अथवा युक्तियुक्त आदेश की इच्छा (Willful) पूर्वक अवज्ञा करना जिसमें किसी व्यक्ति या सम्पत्ति की सुरक्षितता या कोई ऐसा विषय, जिसका किन्हीं अन्य कर्मचारियों के कार्य या मंजूरी पर विपरीत प्रभाव पड़ता हो अन्तर्ग्रस्त हो,

(इ) उपक्रम के परिसर के भीतर जुआ (Gambling) खेलना;

(एफ) उपक्रम में कार्य के घण्टों के दौरान मद्योन्मत्त, बल्वापूर्ण या उच्छलंख व्यवहार या ऐसा आचरण जो किसी व्यक्ति के जीवन या क्षेत्र को संकटापन्न करता हो, अभित्रास, शारीरिक विवाद्यता, या अनुशासन का उच्छेदक कोई भी कार्य;

(जी) उपक्रम के परिसरों के भीतर ऐसे प्रयोजनों के लिए तथा व्यक्तियों द्वारा जो विधि द्वारा प्राधिकृत न हो अथवा यदि ऐसा प्राधिकार विधि द्वारा अपेक्षित न हो तो प्रबन्धक की स्वीकृति के बिना धनों के संग्रहण;

(एच) प्रबन्धक की पूर्व अनुमति बिना उपक्रम के परिसरों के अन्दर ऐसे व्यापार या कारोबार में लगना जिसमें कर्मचारियों को दिये गये वेतन टिकटों का संग्रहण या टिकटों, कूपनों या किसी वस्तु के अन्य टोकनों का विक्रय या उनका प्रचार (Canvassing) सम्मिलित है;

(आई) जैसा कि विधि के अधीन अनुज्ञेय है उसको छोड़कर व्यवसाय संघ की सदस्यता के लिए वोट की माँग करना तथा परिसर के अन्दर संघ के शोध्यों का संग्रहण;

(जे) प्रबन्धक की पूर्व अनुज्ञा के बिना या विधि के अधीन यथा अनुज्ञता के सिवाय उपक्रम के परिसरों के भीतर अधिवेशन करना;

(के) तत्समय प्रवृत्त किसी भी विधि के उपबंधों के उल्लंघन में हड़ताल प्रारंभ करना, हड़ताल पर जाना अथवा उसमें सम्मिलित होना;

(एल) तत्समय प्रवृत्त किसी भी विधि के उपबन्धों का उल्लंघन करते हुए अन्य व्यक्तियों के

Scanned by CamScanner

हड़ताल में भाग लेने के लिए उत्तेजित करना, उकसाना या हड़ताल को आगे बढ़ाने में, अन्यथा, कार्य करना;

(एम) कार्यपालन में इच्छा पूर्वक ढील डालना या उसकी अभिप्रेरणा अथवा उसके लिए उकसाया जाना,

(एन) प्रक्रियाधीन कार्य को या उपक्रम की किसी भी अन्य सम्पत्ति को इच्छा पूर्वक नुकसान पहुँचाना;

(ओ) किसी भी अपराधिकृत व्यक्ति को उपक्रम की प्रक्रियाओं के सम्बन्ध में कोई ऐसी जानकारी प्रकट करना जो उसके कार्य के दौरान उसके कब्जे में हों;

(पी) लगातार दस दिन से अधिक दिनों तक कर्तव्य पर अनाधिकृत रूप से अनुपस्थिति।

[1][(पी-1) अस्पष्ट या कर रंचित दस्तावेजों के आधार पर कर्मचारी राज्य बीमा निगम से वित्तीय सहायता प्राप्त करना।

(क्यू) कोई ऐसा छोटा अवचार जिसका कि कोई कर्मकार आदतन दोषी पाया गया हो; अर्थात् एक वर्ष या सबसे कम समय के भीतर कम से कम तीन बार।

**टिप्पणी**

(1) **धारा (12) (i) (ए) नैतिक अधः पतन –** नैतिक अधः पतन की परिभाषा कहीं नहीं की गई है, सामान्यतः इसका अर्थ यह है कि जो कृत्य न्याय, ईमानदारी, लज्जा या नैतिक आचार के विपरीत हो। ऐसे प्रत्येक कृत्य जिसके किये जाने पर न्यायालय दण्डें दे, आवश्यकता नहीं है कि वह कृत्य अधः पतन का हो जब तक की अभियुक्त कृत्य दुराचारिता को प्रदर्शित न करें (शराब पीना) अधः पतन नहीं है, किन्तु व्यक्ति शराब पीकर शराब के नशे में लोक स्थान पर दुर्व्यवहार करता है जिससे कि उसके दुस्चरित्र होने के आशय का आभास हो, निश्चित ही वह नैतिक अधः पतन का दोषी है **[ए.आई.आर; 1957-पंजाब एवं ए.आई.आर; 1963 सु.के 131 पर आधारित]** देखें **[1978, (एम.पी.) आई.एल.सी.-241 पैरा-6]**

(2) अवैध रूप से हथियार रखना मात्र ही नैतिक अधः पतन के दुराचरण हेतु पर्याप्त आधार नहीं **[संदर्भ-म.प्र.रा.परि. निगम बनाम नानक चंद कोचर; 1985 एम.पी.एल.एस.आर.-32]**

(3) **[देखें विनोद कुमार शर्मा बनाम म.प्र.रा.परि.निगम, 1985 एम.पी.एल.एस.आर-24]**

(4) **धारा 12 (i) (बी) एवं (डी)-बेईमानी की नियत एवं विधिपूर्ण आदेशों** का उल्लंघन-11 यात्री बिना टिकट पाये गये - जाँच के आरोप प्रमाणित पाये गये-सेवा समाप्ति होने का आदेश श्रम न्यायालय द्वारा साक्ष्य से परिचालक की बेईमानी की नीयत प्रमाणित नहीं होती हों वे बिना पिछले वेतन के सेवा में पुर्नस्थापित किया-निगम द्वारा अपील-औद्योगिक न्यायालय द्वारा निर्धारित किया गया कि केवल इसलिए कि उसने निरीक्षण स्थल तक इन बिना टिकट यात्रियों से किराये की राशि वसूल नहीं की थी यह निष्कर्ष निकालना कि उसकी नीयत बेईमानी की नहीं थी, गलत होगा। उसके झूठे बचाव से निश्चय ही उसकी बेईमानी की नियत का अनुमान निकलता है निगम की अपील स्वीकार।

1. धिसूचना दिनांक 10-3-87 के अनुसार स्थापित किया गया।



**[म.प्र.रा.परि. निगम बनाम प्रहलाद मालवीय; 1997 एम. पी. एल. एस. आर. - 21]**

**चोरी का दुराचरण :-**

(5) **धारा 12 (ii) बी-सेवा समाप्ति –** कर्मचारी के विरुद्ध संस्थान की चोरी के दुराचरण का आरोप-विभागीय जाँच की गई-सेवा समाप्ति का दण्ड-श्रम न्यायालय द्वारा कर्मचारी के विरुद्ध गृह जांच में चोरी का गंभीर दुराचरण प्रमाणित होने पर उसे सेवा से पृथक् किये जाने के दण्डादेश को उचित ठहराया-कर्मचारी की अपील की ओर से तर्क था कि फौजदारी प्रकरण में सत्र न्यायालय द्वारा उसे दोष मुक्त कर दिया गया है-औद्योगिक न्यायालय द्वारा निर्धारित किया गया कि संस्थान की वस्तु की चोरी जैसे गंभीर दुराचरण के लिए सेवा पृथ्कीकरण का दण्डादेश अनुचित अथवा कठोर कहे जाने योग्य नहीं है। सक्षम न्यायालय, द्वारा चोरी के अपराध से दोषमुक्त किये जाने का कोई प्रभाव विभागीय जाँच एवं उसके आधार पर नियोक्त द्वारा लिये गये निर्णय पर नहीं होगा क्योंकि अपराधिक प्रकरण से संबंधित कार्यवाही की प्रकृति एवं उसमें प्रयुक्त परीक्षण के मापदण्ड विभागीय जाँच की कार्यवाही से सर्वथा भिन्न होते हैं, कर्मचारी की अपील निरस्त की गई।

**[विसेलाल बनाम मैनेजिंग डायरेक्टर भिलाई इस्पात संयंत्र, भिलाई 1977 म.प्र.एल.एस.आर. 43]**

(6) स्तरीय (स्थाई आदेश) नियम 1963 परिशिष्ट 12(1) डी एवं एफ हेतु देखें – 1994 एम.पी.एल.एस.आर.-132

(7) कार्य के दौरान अपने से बड़े प्रबन्धक के साथ अभद्र व्यवहार देखें - 1988 एम.पी.एल.जे.-274

(8) 12 (1) जे-कर्मचारी पर दुराचरण का आरोप था यह आरोप था कि उसने अन्य श्रमिकों को हड़ताल करने हेतु उकसाया, भड़काया, व डिपो में से बाहर आने वाले वाहनों को रोक। औद्योगिक न्यायालय ने पाया कि तथ्यों से स्पष्ट है कि सभी कार्यवाही डिपो के अहाते के बाहर किये गये है न कि डिपो के अन्दर पूर्व आरोपित दुराचरण नियम 12 (1) जे के अंतर्गत दुराचरण की श्रेणी में नहीं आता है

**[म.प्र. रा.परि.निगम बनाम अजीत, 1994 एम.पी.एल.एस.आर.-68]**

(9) **धारा 12 (1) के.एल.एन. के अंतर्गत गंभीर दुराचरण –** कर्मचारी की सेवायें इस आधार पर समाप्त की गई थी कि उसने अवैध हड़ताल में भाग लिया व अन्य कर्मचारियों को हड़ताल में भाग लेने हेतु भड़काया, औद्योगिक न्यायालय ने पाया कि हड़ताल को अवैध घोषित किये जाने बाबत् श्रम न्यायालय का अंतिम आदेश प्रकरण में प्रस्तुत नहीं है, केवल अंतरिम आदेश की प्रतिलिपि प्रस्तुत हुई है। दण्ड अत्यधिक कठोर होकर औचित्य पूर्ण नहीं हैं।

**[म.प्र. रा.परि.निगम बनाम आर. के. वर्मा, 1994 एम.पी.एल.एस.आर.-124]**

(10) **अनाधिकृत अनुपस्थिति धारा 12 (1) पी.** – प्रभाव पूर्व में पारित निर्णय के अनुसरण में कर्मचारी ने 5-12-85 को ज्वाइंनिग रिपोर्ट दी, ड्यूटी ज्वाइन करने के बाद भी कर्मचारी डिपो में जाता और बैठा रहता, कोई पोस्टिंग आर्डर नहीं दिया गया कर्मचारी ने अपने बयान में स्वीकार किया कि 24-11-88 को उसकी पोस्टिंग रायपुर में किये जाने का आदेश उसे मिला था - निगम की ओर से तर्क था कि कर्मचारी 5-12-85 को डयूटी ज्वाइन करने के बाद से अनुपस्थित रहा है श्रम न्यायालय द्वारा निगम को निर्देश दिया गया है कि कर्मचारी को 5-12-85 से डियूटी में मानते हुए समस्त पिछला वेतन दें और उसे कार्य पर नियुक्ति दें - औद्योगिक न्यायालय ने निर्धारित किया कि

Scanned by CamScanner

सेवा शर्त में अन्यथा प्रावधान के अभाव में निगम अपने किसी भी कर्मचारी को म. प्र. के किसी भी भाग में स्थानान्तर कर सकती है, क्योंकि निगम का कारोबार सम्पूर्ण प्रदेश में फैला हुआ है। कर्मचारी रायपुर संभाग में स्थानान्तरित होने के बाद वहाँ नहीं गया व अनाधिकृत रूप से अनुपस्थित रहा है अतः 24-11-88 से आगे का वेतन प्राप्त करने का उसे विधिक स्वत्व नहीं है।

**[म.प्र. रा.परि.निगम बनाम श्याम दास बैरागी, 1996 एम.पी.एल.एस. आर-437 साथ में देखें 1997 एम.पी.एल.एस.आर-45]**

(2) निम्नलिखित में से कोई कार्य या कार्यलेप सामान्य दुराचरण के तुल्य होगे—

(ए) विलम्ब से उपस्थित होना;

(बी) अवकाश के बिना या पर्याप्त कारण के बिना कर्तव्य पर से अनुपस्थिति, जो कि गम्भीर दुराचरण न हो;

(सी) पर्याप्त कारण दिये बिना, उसी प्रकार के काम को करने से इन्कार करना;

(डी) कार्य के घण्टों के दौरान सोना;

(इ) सुरक्षितता सम्बन्ध अनुदेशों का पालन न करना या स्थापना के परिसरों में अधिष्ठापित यन्त्र, रक्षण यन्त्र, (गार्ड) बाड़ या सुरक्षितता सम्बन्धी अन्य युक्तियों के सम्बन्ध में अवधिकृत उपयोग;

(एफ) कोई भी ऐसा कार्य या कार्यलोप जिसके लिए किसी नियोजित व्यक्ति की स्वीकृति से कटौतियाँ पेमेंट ऑफ वेजेज एक्ट (वेतन संदाय अधिनियम) द्वारा या उसके अधीन प्राधिकृत हो;

(जी) उस द्वारा या उन द्वारों को छोड़कर अन्य द्वारों से उपक्रम के परिसरों में प्रवेश करना या वहाँ से जाना जो कि उस प्रयोजन हेतु नियत किये गये हों;

(एच) उपक्रम के परिसरों में अपदूषण करना, अनुशासनहीनता, किसी विभाग के संघारण, और उसे चलाने तथा उसमें स्वच्छता बनाये रखने के लिये किसी स्थायी आदेश या अनुदेशों को भंग करना।

**टिप्पणी**

(1) **छोटे अवचार** – मानक (स्थाई आदेश) अधिनियम, 1961 धारा 12 (2)- गृहजांच एक वर्ष बाद प्रारम्भ की गई - तत्पश्चात् आरोप पत्र की तामील की गई, तथा आरोप पत्र की तिथि से एक वर्ष की अवधि के अन्दर जाँच प्रारंभ की गई, यह अवधि वाह्य नहीं है।

**[संभा. प्रबन्धक म.प्र. राज्य परिवहन निगम बनाम अशोक कुमार भटेल देखें, 1996 एम. पी. एस. आर. - 156 ]**

(2) **औद्योगिक नियोजन स्तरीय स्थाई आदेश नियम - नियम 12(1) कार्य स्थान से अनुपस्थिति** – मजदूरी भुगतान अधिनियम के तहत् अनुपस्थिति की अवधि के लिए कटौती किया जा सकता है, किन्तु कार्य स्थल से कुछ समय की अनुपस्थिति स्तरीय स्थाई-आज्ञा क्र. 12 (1) के अंतर्गत गंभीर दुराचरण नहीं है; बल्कि स्तरीय स्थाई आज्ञा क्र. 12 (2) बी.एव.एफ के अंतर्गत लघु दुराचरण है।

**[इंदौर मालवा यूनाइटेड मिल्स विरुद्ध मोतीलाल, देखें 1994 एम.पी.एल.एस.आर. 73]**



(3) **सेवा समाप्ति** – रेस्पोडैंट (कर्मचारी) पर यह आरोप था कि दिनांक 4-11-1983 को वह इन्दौर अहमदाबाद बस पर द्वितीय चालक के रूप में नहीं गया था तथा बिना पूर्व सूचना दिये अनुपस्थति रहने से 3500 रु. का नुकशान उठाना पड़ा व यात्रियों को भी परेशानी हुई, रेस्पोडैंट ने बीमारी की वजह से ड्यूटी पर न आना बताया व मेडिकल प्रमाण पत्र पेश किये, उसके यह भी कहना था कि उसने दूरभाष पर सूचना उसी दिन दी थी। औद्योगिक न्यायालय ने पाया कि स्थाई आज्ञा क्रमांक 12(2) के अनुसार बिना अवकाश ड्यूटी से अनुपस्थित रहना साधारण दुराचरण होता है जबकि ऐसी अनुपस्थिति उचित कारणों पर आधारित नहीं हो। निगम की अपील विफल होती है तथा श्रम न्यायालय द्वारा पिछले वेतन सहित पुर्नस्थापना आदेश वैद्ध व उचित होने से हस्तक्षेप योग्य नहीं पाया गया।

**[म.प्र. रा. परि. निगम इन्दौर बनाम परमानंद-देखें** 1991 एम.पी.एल.एस.आर.-241]

(3) (ए) सामान्य दुराचरण हेतु निम्नलिखित दण्ड हो सकते हैं –

(i) परिनिन्दा अथवा

(ii) जुर्माना

(बी) किसी गंभीर दुराचरण हेतु निम्नलिखित दण्ड हो सकते हैं-

(i) परिनिन्दा अथवा

(ii) जुर्माना, या

(iii) किसी भी एक अवसर पर चार दिन से अनधिक समयावधि के लिए निलंबन अथवा

(iv) एक वर्ष की कालावधि के लिए वेतन-वृद्धि का रोका जाना, या

(v) पदावनति, या

(vi) पदच्युति

(सी) दण्ड का अधिनिर्णय करते समय प्रबन्धक दुराचरण की गम्भीरता; कर्मचारी के पूर्व अभिलेख, (इतिहास) यदि कोई हो, तथा किन्हीं अन्य परिशमनकारी या गुरूतर बनाने वाली परिस्थितियों पर विचार करेगा।

धारा 12 (3) लघुदुराचरण बाबत्

**टिप्पणी**

औद्योगिक नियोजन (स्थाई-आदेश) नियम, 1963 (म.प्र.) नियम 12 (3) (सी) दण्ड की मात्रा विधि के अनुसार किस प्रकार निर्धारित की जावें-श्रम न्यायालय को दण्ड के संबंध में हस्तक्षेप करने का अधिकार है।

**[हबीब खान बनाम स्टेट औद्योगिक न्यायालय देखें** 1979 देखें 1979 (1) वी. नोट्स (1) 12 (4) एच एवं 12 (4) आई]

(4) कोई दण्ड किसी भी कर्मचारी पर तब तक अधिरोपित नहीं किया जायेगा जब तक कि वह निम्नलिखित रीति में की गई किसी जाँच में दुराचरण का दोषी सिद्ध न कर दिया जाये–

(ए) प्रबन्धक या इस सम्बन्ध में उसके द्वारा प्राधिकृत कोई अन्य पदाधिकारी कर्मचारी को एक आरोप पत्र देगा जिसमें आरोपित दुराचरण तथा उसके विरूद्ध उपस्थित होने

Scanned by CamScanner

वाली परिस्थितियों का स्पष्ट रूप से उपवर्णित की जावें तथा उसके स्पष्टीकरण की अपेक्षा की जाये।

(बी) कर्मचारी को अपना स्पष्टीकरण प्रस्तुत करने के लिए, यदि उस पर सामान्य का आरोप हो, कम से कम 24 घण्टें का और यदि उस पर किसी गंभीर आचरण का आरोप हो, तो कम से कम 72 घण्टें का समय दिया जायेगा;

(सी) किसी कर्मचारी को, यदि वह ऐसा चाहे, स्वयं या कर्मचारियों के प्रतिनिधि द्वारा अपनी प्रतिरक्षा करने के लिए अनुज्ञात किया जायेगा;

(डी) उन दशाओं के सिवाय जहाँ कि वह अपने विरुद्ध लगाया गया आरोप स्वीकार करता हो, कर्मचारी की अपनी प्रतिरक्षा में साक्षियों को पेश करने तथा किन्हीं भी ऐसे साक्षियों का पेश करने तथा किसी भी ऐसे साक्षी की, जिसके कि साक्ष्य पर आरोप अवलम्बित हो, प्रतिपृच्छा करने हेतु अनुज्ञात किया जायेगा;

(इ) साक्ष्य का सार अभिलिखित किया जायेगा और पढ़कर सुनाया जायेगा;

(एफ) दण्ड का आदेश लिखित रूप में होगा और उसका वितरण मैनेजर के हस्ताक्षर से या अन्य अधिकारी जो स्थायी आदेश (1) (ए) द्वारा प्राधिकृत व्यक्ति के होगा। दण्ड पारित किये गये आदेश की एक प्रति कर्मचारी को दी जावेगी।

(जी) लिपिकीय, तकनीकी या पर्यवेक्षीकीय स्टाफ के कर्मचारी को छोड़कर किसी अन्य कर्मचारी के मामले में प्रबन्धक अभिकथित गंभीर दुराचरण की जाँच के लम्बित रहने तक उसे ऐसी समयावधि तक के लिए निलम्बित कर सकेगी जो चार दिन से अधिक न हो;

(एच) प्रबन्धक लिपिकीय, तकनीकी या पर्यवेक्षकीय कर्मचारी को उसके विरूद्ध अभिकथित किसी मुख्य अवचार की जाँच लम्बित रहने तक तीन मास की कालावधि तक के लिए निलम्बित कर सकेगा और ऐसे कर्मचारी को औसत मजदूरी के आधे की दर से निलम्बित भत्ते की देनगी करेगा;

(आई) निलम्बन आदेश लिखित में होगा और कर्मचारी को उसकी संसूचना दे दी जाने पर अभिव्यक्त प्रभावशाली हो सकेगा। यदि छः मास की कालावधि के भीतर कोई कार्यवाही न की जाये तो निलम्बन की कालावधि के लिए मंजूरी की रकम पूरी देय होगी।

(5) यदि जाँच पर आदेश की पुष्टि कर दी जाये या निलम्बन की अवधि कम कर दी जाये, तो कर्मचारी निलम्बन की समयावधि के लिए कर्तव्य से अनुपस्थित समझा जायेगा और ऐसी कालावधि के लिए किसी भी मंजूरी का हकदार नहीं होगा। तथापि यदि आदेश विखिण्डित कर दिया जाये, तो कर्मचारी निलम्बन की पूरी समयावधि के दौरान कर्तव्य पर उपस्थित समझा जाएगा और वह उसी मंजूरी का हकदार होगा जो कि वह उस दशा में प्राप्त करता यदि वह निलम्बित न किया गया होगा;

परन्तु यदि जाँच स्पष्टीकरण प्रस्तुत किये जाने के दिनांक से चार दिन के भीतर पूर्ण न की जाये, तो कर्मचारी अपने स्पष्टीकरण की प्रस्तुती के दिनांक से जांच के पूर्ण न होने तक पूरी मंजूरी का हकदार होगा।



[हबीब खान बनाम स्टेट औद्योगिक न्यायालय देखें 1979 देखें 1979 (1) बी. नोट्स (1) 12 (4) एच एवं 12 (4) आई]

**टिप्पणी**

**(i) निलंबन –** (1) औद्योगिक नियोजन (स्थाई- आदेश) नियम, 1963 के परिशिष्ट (स्तरीय स्थाई) आदेश क्र. 12 (4) एच व 12 (4) आई-सेवा मुक्त कर्मचारी का तर्क था कि विभागीय जाँच की कार्यवाही निर्धारित अवधि में ही पूर्ण नहीं की गई, इसलिये उसका निलम्बन समाप्त किया जाए तथा निलंबन काल का पूर्ण वेतन दिलाया जाए श्रम न्यायालय ने सेवा युक्त कर्मचारी के तर्क से सहमति व्यक्त की गई तथा पक्ष में निर्णय दिया। औद्योगिक न्यायालय ने निर्धारित किया कि विभागीय जाँच पूर्ण की जाने के संबंध में स्तरीय स्थाई आदेशों में कोई अवधि निश्चित नहीं हैं। इसी प्रकार निलंबन अवधि भी निश्चित नहीं; केवल यह बंधन है कि यदि 3 माह की अवधि में विभागीय जाँच पूर्ण नहीं की जाती है तो सेवाच्युत को निलम्बन अवधि से नियोजन तक का पूर्ण वेतन पाने का अधिकार है, परन्तु स्तरीय स्थाई आदेशों में यह प्रावधान कहीं नहीं है कि विभागीय जाँच निश्चित अवधि में पूर्ण नहीं किये जाने पर निलम्बन समाप्त किया जाएगा-अपील आंशिक रूप से स्वीकार कर्मचारी इस प्रकरण की परिस्थिति में निलंबन काल में पूर्ण वेतन पाने का अधिकारी है।

[एम.पी.इ.बी. बनाम ए. के अवस्थी देखें, 1996 एम.पी.एल.एस.आर-18]

**(ii) औद्योगिक नियोजन (स्थाई-आदेश) परिशिष्ट 12 (1) (b) एवं खण्ड 12(4) - दुराचरण –** बस के परिचालक द्वारा टिकट उल्टे क्रम में जारी किये जो कि गंभीर असावधानी एवं बेईमानी का कृत्य है - सेवा से बर्खास्तगी हेतु समुचित आधार नहीं माना गया जबकि संग्रह पत्रिका में सही इन्द्राज टिकटों का हो

[रघुवीर बनाम स्टेट औद्योगिक न्यायालय इन्दौर-संदर्भ 1989-जे.एल.जे-137]

**(iii) औ. नियोजन (स्थाई-आज्ञायें), नियम 12 (4) जी व 12 (5) -** निलंबन रेस्पोंडेंट कर्मचारी का गृह जाँच हेतु दिनांक 15-8-83 से 20-4-84 तक निलंबित रखा गया व निलंबन अवधि में 6 माह तक आधा वेतन व बाद में 75% वेतन का भुगतान किया गया कर्मचारी ने निलम्बन अवधि के पूर्ण वेतन की माँग की - श्रम न्यायालय द्वारा आवेदन पत्र मान्य किया गया औद्योगिक न्यायालय ने पाया कि स्तरीय (स्थाई-आज्ञा) 12 (5) के परन्तुक के अनुसार यदि जाँच, कर्मचारी द्वारा अपना स्पष्टीकरण प्रस्तुत करने के 4 दिन के अन्दर पूर्ण नहीं की जाती तो स्पष्टीकरण प्रस्तुत करने के दिनांक से गृह जांच पूर्ण होने तक पूर्ण वेतन पाने का पात्र है-अपील निरस्त की गई)

[1][(म.प्र. विद्युत् मंडल बनाम बिहारी लाल देखें- म.प्र.एल.एस.आर-52) अन्य देखें- 1990 एम.पी.एल एस. आर-245]

(6) किसी भी कर्मचारी के विरुद्ध

(ए) मुख्य अपचार के लिये उसके किये जाने के एक वर्ष पश्चात्, और

(बी) लघु अपचार के लिये उसके किये जाने से छः मास पश्चात् कार्यवाही करने के लिये नियोजक सक्षम नहीं होगा

1. अधिसूचना दिनांक 10-3-87 के अनुसार स्थापित।

Scanned by CamScanner

## टिप्पणी

(1) औ. नियोजन (स्थाई–आदेश) नियम 1963 के आदेश क्र. 12 (6) - दुराचरण – सेवामुक्त पर झूठे यात्रा पत्रक प्रस्तुत कर अवैध रूप से धनराशि प्राप्त करने का आरोप आरोपित किया गया था प्रार्थी के विरुद्ध गृह जाँच उपरांत सेवा समाप्ति का दण्ड दिया गया-श्रमन्यायालय के गृह जाँच को अवैध पाया तथा सेवा समाप्ति आदेश को निरस्त किया-औद्योगिक न्यायालय ने निर्णित किया कि स्तरीय आदेश क्र. 12(6) में यह प्रावधान है कि कर्मचारी के गंभीर दुराचरण के संबंध में दुराचरण किये जाने के एक साल बाद तथा दुराचरण के संबंध में 6 माह के बाद कार्यवाही नहीं की जा सकती-अपील निरस्त

[म.प्र. विद्युत् बोर्ड जबलपुर बनाम लक्ष्मी नारायण, 1996 एम.पी.एल.एस.आर-184.]

**13. नियोजक के अभिकर्ता (Agent) या सेवक द्वारा किये गये अनुचित व्यवहार या सदोष अनुचित मांग (Exaction) के विरुद्ध कर्मचारी के लिए प्रतिकार के साधन** –(1) (ए) कोई भी व्यथित कर्मचारी पहले अपनी व्यथा स्वयं अपने निकटतम वरिष्ठ को प्रस्तुत करेगा, जो उसके बाद परिवाद प्रस्तुत किए जाने के 48 घण्टे के भीतर उत्तर देगा;

(बी) यदि कर्मचारी का अपने निकटतम वरिष्ठ के उत्तर से समाधान न हो, तो वह या उसकी ओर से प्राधिकृत प्रतिनिधि प्रबन्धक अथवा उसके द्वारा इस प्रयोजन हेतु नियुक्त किसी पदाधिकारी को परिवाद भेज सकेगा;

(सी) प्रबन्धक या ऐसा पदाधिकारी ऐसे समय तथा स्थान पर, जिसे वह निश्चित करे, परिवाद का स्वयं अन्वेषण करेगा और परिवाद करने वाला कर्मचारी या प्राधिकृत प्रतिनिधि को ऐसे अन्वेषण में उपस्थित रहने का अधिकार होगा;

परन्तु अन्वेषण पदाधिकारी के विनिश्चय और उसके द्वारा की गई कार्यवाही की, यदि कोई संसूचना हो, परिवादी को, सामान्यतः परिवाद के प्रस्तुत किए जाने के एक सप्ताह के भीतर संसूचित की जायेगी।

(2) कर्मचारी की उन कठिनाइयों की, जो कि –

(ए) पर्यवेक्षी पद धारण करने वाले किसी व्यक्ति द्वारा हमला या दुर्वचन, या

(बी) अर्जेन्ट अवकाश के लिए आवेदन पत्र की अस्वीकृति,

(सी) श्रम सम्बन्धी अनुचित पद्धति, जैसे - (एक) संघ के सदस्यों के रूप में नामांकित होने या बने रहने के कर्मचारियों के अधिकारों में हस्तक्षेप, (दो) किसी कर्मचारी के प्रति विभेद अवरोध या उत्पीड़न या कर्मचारी संघ की मान्य गतिविधियों के अवरोध; और (तीन) किसी कर्मचारी के वलीकरण या किसी भी रूप में प्राधिकार को दुरूपयोग; से सम्बन्धित हो प्रबंधक द्वारा तुरंत जाँच की जायेगी और वह उपक्रम के ऐसे पदाधिकारियों के विरुद्ध, जो उसके लिये उत्तरदायी पाये जाय, समुचित अनुशासनात्मक कार्यवाही करेगा। परिवादी को आदेश की या प्रबन्धक द्वारा इस सम्बन्ध में की गई कार्यवाही की प्रतिलिपि दी जायेगी।

14. ऐसा कर्मचारी, जिसके विरूद्ध प्रबन्धक द्वारा कोई आदेश पारित किया गया हो, यदि वह ऐसा चाहे, प्रबन्ध अभिकर्ताओं या प्रबंधक निदेशक या स्वत्वधारी किसी ऐसे व्यक्ति को जिसका



उपक्रम के प्रबंध पर चरम नियन्त्रण हो, अपना अभ्यावेदन (Representation) प्रस्तुत कर सकेगा, जो 15 दिन की समय अवधि के भीतर कर्मचारी को अपना विनिश्चय संसूचित करेगा।

[1][**14.ए-सेवानिवृत्ति** -- 58 वर्ष की आयु प्राप्त करने के दिनांक को कोई कर्मचारी नियोजक की सेवा में से सेवानिवृति हो जावेगा। 58 वर्ष की आयु प्राप्त कर लेने के दिनांक के पश्चात् भी नियोजक द्वारा वह सेवा में रखा जा सकेगा यदि उपक्रम के हित में उसकी सेवाएँ आवश्यक हो, किन्तु 60 वर्ष की आयु के पश्चात् सेवा में नहीं रखा जावेगा :

परन्तु यदि सेवानिवृति की आयु 58 वर्ष से कम न हो तो इस खण्ड में की गई किसी भी बात का इस विषय से सम्बन्धित किसी संविदा, करार समझौता या पंचाट के किन्हीं हितबन्धनों के प्रवर्तन पर विपरीत प्रभाव नहीं पड़ेगा।

परन्तु यह और कि इस खण्ड के प्रावधानों के अनुसार किसी कर्मचारी को सेवानिवृत्त करने के पूर्व प्रबन्धक द्वारा उसे कम से कम एक माह की लिखित सूचना दी जाएगी। तथापि ऐसी सूचना देने में चूक होने की दशा में कर्मचारी सेवानिवृत्ति की आयु पूर्ण करने के उपरांत सेवा में निरन्तरित रहने का अधिकारी नही होगा, नियोजक की ओर से ऐसी सूचना के अभाव में सम्बन्धित कर्मचारी को वहे क माह का वेतन देने का दायी होगा।

[2][उपखण्ड (1) में कोई भी बात के होते हुये भी कार्यरत पत्रकारों की सेवा निवृत्ति, जैसे कि कार्यरत पत्रकारों एवं समाचार पत्र के कर्मचारियों की (सेवा शर्तों) की धारा 2 (एफ) एवं विविध उपबन्ध अधिनियम 1995 (1955 का क्रं. 45) 60 वर्ष होगी।

(2) खण्ड (1) के प्रयोजन के लिए आयु की गणना निम्न तरीके से प्राथमिकता क्रम में की जायेगी--

(एक) कर्मचारी द्वारा नियोजन के समय दी गई जन्म दिनांक जो प्रबन्धक द्वारा स्वीकार की गई हो।

(दो) उच्चतर माध्यमिक शाला प्रमाण पत्र या सामान्य परीक्षा प्रमाण पत्र में दिया गया जन्म दिनांक।

(तीन) कर्मचारी का जहाँ जन्म हुआ हो, उस स्थान के स्थानीय प्रांधिकारी द्वारा जन्म दिनांक के सम्बन्ध में रखे गये अभिलेखों के आधार पर जारी किये गये प्रमाण पत्र में दी गई जन्म तिथि या जन्म तथा मृत्यु रजिस्टर की प्रविष्टि की प्रमाणित प्रतिलिपि में उल्लेखित दिनांक।

(चार) कर्मचारी द्वारा भविष्यनिधि की सदस्यता के प्रयोजन हेतु घोषणा कार्ड में घोषित जन्म दिनांक।

(3) उपरोक्त खण्ड में वर्णित बातों के बावजूद भी यदि नियोजन के समय सूचित जन्म दिनांक अथवा कर्मचारी भविष्यनिधि की सदस्यता के प्रयोजन के लिए घोषणा कार्ड में घोषित जन्म दिनांक, जैसी भी स्थिति हो, के सम्बन्ध में विवाद उपस्थित होता है तो जन्म दिनांक का अवधारण पाठशाला छोड़ने के प्रमाण पत्र के आधार पर किया जावेगा एवं इसकी अनुपस्थिति में रजिस्टर्ड मेडिकल प्रेक्टिश्नर जो सिविल सर्जन की पंक्ति से निम्न पंक्ति का न हो, द्वारा अवधारित आयु अन्तिम मानी जायेगी तथापि ऐसा कोई विवाद निवत्ति के दिनांक से 6 माह पूर्व की अवधि में (ग्राह्य) नहीं किया जावेगा।

1. राज्य सरकार की अधिसूचना क्र. 5167-3541-xvi दिनांक 7-8-1981 दिनांक 21-8-81 के राजपत्र पेज क्र.
2. राज्य सरकार की अधिसूचना क्र. 4(इ) 10-91-16ए दिनांक 10-1-1992 म.प्र. राजपत्र असाधारण दिनांक 23-1-1992 पेज 71 के अनुसार प्रतिस्थापित 1270 द्वारा प्रतिस्थापित।

Scanned by CamScanner

## टिप्पणी

**(i) ओ. नि. (स्थाई) नियम, 1963- नियम 14 (ए) सेवा निवृत्ति --** इस प्रावधान के अनुसार सेवा में प्रवेश करते समय दी जाने वाली जन्मतिथि प्रबन्धक ने स्वीकार की है तो उसे मान्य किया जाना चाहिए-कर्मचारी ने मंडल की सेवा में प्रवेश करते समय अपनी जन्म तिथि 25-6-1993 घोषित की थी। किसी भी कर्मचारी को भूतलक्षी प्रभाव से सेवा निवृत्त नहीं किया जा सकता। अधीनस्थ न्यायालय का इस विषय में निर्णय सही पाया

**[म. प्र. विद्युत् बोर्ड बनाम सुल्तान बेग, 1996 एम.पी.एल.एस.आर.-39]**

**(ii) औ. नियोजन, (स्थाई) 14 (ए) (i) --** कर्मचारी द्वारा सूचित एवं नियोक्ता द्वारा स्वीकृत जन्म दिनांक का ही सबसे अधिक महत्व है अन्य दस्तावेज इस परिस्थिति में प्रभावी नहीं

**[राम प्रवेश सिंह बनाम म. प्र. रा. परि. निगम, 1996 (2) म.प्र.वी नोट-113]**

**(iii)** मध्य भारत रोडवेज के कर्मचारियों का म. प्र. राज्य परिवहन निगम में विलीन करण नियुक्ति के समय सेवा निवृत्ति आयु आर्टिशियन कर्मकार की 60 वर्ष थी स्तरीय (स्थाई आज्ञा) 14 (ए) के तहत सेवा निवृत्ति अवैध

**[विन्ध्येश्वरी प्रसाद सिंह बनाम म.प्र.रा.परि.नि. देंखें 1997 (1) एम.पी.एल.जे. 244]**

**(iv)** सी.पी.टी.एस. के कर्मचारियों के संबंध में देखें

**[म.प्र.रा. परिवहन निगम बनाम व्ही.डी. तिवारी, 1995 एम.पी.एल. जे नोट क्र.-55]**

[1][15. जो कर्मचारी सेवा छोड़ देता है या सेवा निवृत्त हो जाता है अथवा सेवा से पृथक किया जाता है उसे सेवा छोड़ने या सेवानिवृत्त होने या सेवा से पृथक किये जाने, जैसा भी स्थिति हो, बिना विलम्ब के 30 दिन की समयावधि में नियोक्ता उसको सेवा प्रमाण पत्र देगा जिसमें ऐसी जानकारी या विवरण, जो राज्य शासन अधिसूचना द्वारा निर्धारित करेगा, का समावेश होगा।

16. **प्रबन्धक का दायित्व --** उपक्रम का प्रबन्धक या उस दशा में, जबकि कोई प्रबन्धक न हो, प्रबन्ध अभिकर्ता, प्रबन्धक-निदेशक या स्वत्वधारी या कोई भी ऐसा व्यक्ति, जिसका उपक्रम के प्रबन्ध पर चरम नियंत्रण ही इन स्थायी आदेशों के उचित तथा निष्ठापूर्ण पालन के लिये उत्तरदायी ठहराया जायेगा।

17. (ए) इन स्थाई आदेशों के अधीन प्रदर्शित की जाने वाली या दी जाने वाली सूचनायें ऐसी भाषा में होगी जो कि कर्मचारियों की बहुसंख्या द्वारा समझी जाती हो।

(बी) कोई भी ऐसी सूचना, आदेश, आरोप-पत्र संसूचना या जानकारी, जो व्यक्तिगत कर्मचारी के लिए आशयित हो और जो इन स्थाई आदेशों, के अधीन लिखित में दी जाय, ऐसी भाषा में होगी जो कि कर्मचारियों की बहुसंख्यक द्वारा समझी जाती है।

18. इस स्थायी आदेशों की प्रतियाँ समयपाल के कार्यालय में और उपक्रम के समस्त विभागों में लगाई जायेगी सुवाच्य दशा में रखा जायेगा।

धारा 1 के अन्तर्गत वे उद्योग जिन्हें विधान लागू किया गया है।

---

1. राज्य सरकार की अधिसूचना क्र. 5167-3541-xvi दिनांक 7-8-1981 द्वारा प्रतिस्थापित।



# अनुसूची

1. वस्त्र उद्योग जिसे औद्योगिक विकास एवं विनियमन अधिनियम 1951 की प्रथम अनुसूची की कंडिका 23 में दर्शाया गया है।

**नोट--**

**औद्योगिक विकास एवं विनियमन अधिनियम, 1951 प्रथम अनुसूची**

**कडिका 23 --** टेक्सटाइल (जिसमें रंगे छपे एवं अन्य प्रोसेस किये सम्मिलित है।)

(1) सुत सम्पूर्ण एवं आंशिक रूप से बना हुआ जिसमें सुत, यार्न, होजयरी एवं रस्सी सम्मिलित है।

(2) जूट द्वारा पूर्ण रूप से या आंशिक रूप से बना हुआ, जिसमें जूट टूवाइन, व रस्सी सम्मिलित है।

(3) ऊन, सम्पूर्ण या आंशिक रूप से बना हुआ जिसमें उनटापास उनीयार्न, होजयरी कारपेट एवं रकेट सम्मिलित है।

(4) रेशम से आंशिक या पूर्ण रूप से बना हुआ, जिसमें रेशम यार्न एवं होजयरी सम्मिलित है।

(5) कृत्रिम रेशे सिन्थेटिक या सम्पूर्ण या आंशिक रूप से बना हुआ, जिसमें यार्न तथा होजयरी सम्मिलित है।

(पूर्व में केवल वस्त्र उद्योग उल्लेखित था जो 31-12-60 से प्रभावशील था, उसे 16-4-1971 से उपरोक्तानुसार प्रतिस्थापित किया गया है)

2. लोहा एवं इस्पात (मध्यप्रदेश राजपत्र 31-12-60)।
3. विद्युत् सामग्री (मध्यप्रदेश राजपत्र 31-12-60)।
4. शक्कर एवं इसके उप उत्पाद जिसमें--
   (i) शक्कर उत्पाद के साथ संलग्न कृषि भूमि जिसमें गन्ना पैदा किया जाता है एवं
   (ii) समस्त कृषि एवं औद्योगिक कार्य जो इस उत्पाद के लिए गन्ने की पैदावार से संबंधित हों, सम्मिलित है।

   (पूर्व में दिनांक 31-12-60 से केवल शक्कर उद्योग था, जिसे दिनांक 27-5-63 के राजपत्र के द्वारा उपरोक्तानुसार प्रतिस्थापित किया गया है।
5. चाँवल मिल (मध्यप्रदेश राजपत्र दिनांक 31-12-60)।
6. तेल मिल (मध्यप्रदेश राजपत्र दिनांक 31-12-60)।
7. सीमेंट (मध्यप्रदेश राजपत्र दिनांक 31-12-60)।
8. पाटरीज जिसमें रिफ्रेक्टरी गुड्स, फायर ब्रिक्स, सेनेटरी बेअरस् इसुलेटरस्, टाइल्स, स्टोन वेअर, पाईपस्, फरनेस, लाईनिंग, ब्रिक्स एवं अन्य सेरेमिकस गुड्स।
   (पूर्व में 31-12-60 से केवल पाटरीज था जिसे दिनांक 1-7-66 के राजपत्र द्वारा उपरोक्तानुसार प्रतिस्थापित किया गया है।)
9. चूना उद्योग (मध्यप्रदेश राजपत्र दिनांक 31-12-60)।
10. विद्युत उत्पादन संपेषण एवं वितरण (मध्यप्रदेश राजपत्र दिनांक 31-12-60)।

Scanned by CamScanner

11. प्रिन्टिंग प्रेस (मध्यप्रदेश राजपत्र दिनांक 31-12-60) ।
12. कागज एवं स्ट्राबोर्ड (मध्यप्रदेश राजपत्र दिनांक 31-12-60) ।
13. एसबैटास सीमेंट (मध्यप्रदेश राजपत्र दिनांक 31-12-60) ।
14. शैलाक (मध्यप्रदेश राजपत्र दिनांक 31-12-60) ।
15. लोक वाहन यातायात (मध्यप्रदेश राजपत्र दिनांक 31-12-60) ।
16. इन्जिनियरिंग जिसमें मोटर यान निर्माण सम्मिलित है --
(पूर्व में 31-12-60 से केवल इंजिनियरिंग शब्द था, जिसे मध्यप्रदेश राजपत्र दिनांक 24-4-70 द्वारा उपरोक्तानुसार प्रतिस्थापित किया गया है।)
17. फ्लोअर मिल (मध्यप्रदेश राजपत्र दिनांक 31-12-60) ।
18. बिस्किट एवं कन्फेक्शनरी (मध्यप्रदेश राजपत्र दिनांक 31-12-60) ।
19. ग्लास (मध्यप्रदेश राजपत्र दिनांक 31-12-60) ।
20. स्टार्च (मध्यप्रदेश राजपत्र दिनांक 31-12-60) ।
21. वनस्पति घी (हाईड्रोजनेटेड आईल) ।
(पूर्व में बैजिटेबल आईल शब्द 31-12-60 से था, जिसे मध्यप्रदेश राजपत्र दिनांक 4-3-66 द्वारा उपरोक्तानुसार प्रतिस्थापित किया गया है।)
22. रबर (मध्यप्रदेश राजपत्र दिनांक 31-12-60) ।
23. कत्था (मध्यप्रदेश राजपत्र दिनांक 25-8-61) ।
24. केमिकल्स और अन्य जिन्हें उद्योग विकास एवं विनियमन अधिनियम, 1951 की प्रथम अनुसूची की कंडिका 19 में दर्शाया गया है।
(पूर्व में केमिकल एवं केमिकल प्रोडक्टस् दिनांक 17-5-63 से था जिसे मध्यप्रदेश राजपत्र दिनांक 3-7-73 से उपरोक्तानुसार प्रतिस्थापित किया गया है।)
कंडिका 19 -- केमिकल्स फर्टिलाईजर्स के अलावा।
(1) इनआरगनिक हेवी केमिकल्स।
(2) आरगर्तिक, हेवी केमिकल्स।
(3) फाइन केमिकल्स फोटोग्राफी केमिकल्स
(4) सिन्थेटिक रेसिन व प्लास्टिक।
(5) पेन्टस् वार्निस एवं एनामल।
(6) सिन्थेटिक रबर।
(7) मानव निर्मित रेशे जिसमें पूर्व निर्मित सियूलोज रेयान एवं नायालोन एवं अन्य सामाग्री सम्मिलित है
(8) कोक ओवन के उप उत्पादन।
(9) कोल टार डिसटिलेसन उत्पादन यथा नेपथालिन, एनथ्रोसिन, एवम् समान।
(10)विस्फोटक जिसमें गन पाउडर एवं सेफ्टी पयुज शामिल है।
(11)कीटनाशक फन्जी साइन्ड, विडि साइन्ड।
(12)टेक्टाइल आगजीलियर्स।



(13)साईजिंग मटेरियल एवं स्टार्न।
(14)विभिन्न केमिकल्स।
25. नान मेटेलिक मिनरल प्रोडक्ट्स (म. प्र. राजपत्र दिनाँक 18-2-63) ।
26. एल्युनियम उद्योग (म. प्र. राजपत्र दिनाँक 21-1-69) ।
27. जिलेटिन इन्डस्ट्रीज (म. प्र. राजपत्र दिनाँक 23-12-69) ।
28. लेदर टेनेरीज जिसमें चर्म उत्पाद सम्मिलित हैं (म. प्र. राजपत्र दिनाँक 29-3-75) ।
29. फर्टिलालईजरस् जिन्हें उद्योग विकास एवं विनियमन अधिनियम, 1951 की प्रथम अनुसूची की कंडिका 18 में दर्शाया हैं। (म. प्र. राजपत्र दिनाँक 6-11-75) ।
कंडिका 18-फर्टिलाईजर
(1) इनआर्गनिक फर्टिलाईजर।
(2) आर्गनिक।
(3) मित्तित फर्टिलाईजर।
30. ड्राग्स एवं फार्मास्यूटिकल्स् जिन्हें उद्योग विकास एवं विनियमन अधिनियम 1951 की प्रथम अनुसूची की कंडिका 22 में दर्शाया गया है : (म. प्र. राजपत्र दिनाँक 6-11-75) ।
कंडिका 22-डूँग एवं फार्मास्यूटिकल्स्
31. फर्मनटेशन उद्योग विकास एवं विनियमन, 1951 की प्रथम अनुसूची की कंडिका 26 में दर्शाया गया है। (म. प्र. राजपत्र दिनाँक 6-19-75) ।
कंडिका 26-फरमन्टेशन उद्योग,
(1) एल्कोहल
(2) फरमन्टेशन उद्योग के अन्य उत्पादक।
32. डेयरी प्रोडक्टस् उत्पादन एवं वितरण : (म. प्र. राजपत्र दिनाँक 1-5-81) ।

Scanned by CamScanner

# अधिसूचनाएँ

# NOTIFICATIONS

**Notification No. 7770-XVI** – In exercise of the powers conferred by sub-section 2 of the Madhya Pradesh Industrial Employment (Standing Orders) Act, 1961 (No. 26 of 1961), the State Government hereby notifies that the said Act shall not apply to employees in any undertaking to whom the following rules or regulation apply—

(i) Civilians Defence Services (Classification, Control and Appeals Rules :
(ii) The Indian Railway Establishment Code; and
(iii) any other rules or regulations which have already been notified by the Central Government under section 13-B of the Industrial Employment (Standing Orders Act, 1946 (XX of 1946).

*[Published in M.P. Rajpatra dated 17-11-1961, Pt. I p. 1906]*

---

**Notification No. 7788 XVI, dated 4-11-1961** – In exercise of the power conferred by sub-section (3) of section 1 of the Madhya Pradesh Industrial Employment (Standing Orders) Act, 1961 (No. 26 of 1961), the State Government hereby notify the 25the November, 1961, as the date on which the said Act shall come into force.

*[Published in M.P. Rajpatra dated 17-11-1961, Pt. I p. 1906]*

---

**No. 4747-2130-XVI-A, dated 6-8-1980** – In excercise of the powers conterred by sub-section (1) of Section 6 of the M.P. Industrial Employment (Standing Orders) Act, 1961 (No. 26 of 1961) and in supersession of all notifications issued in this behalf previously, the State Government hereby applies, with effect from date of publication of this notifications in the Madhya Pradesh Gazette, the Standard Standing Orders to all undertakings to which the said Act applies.

*[Published in M.P. Rajpatra dated 5-9-1980, Pt. 4(ga) p. 2233]*

---

**क्रमांक एफ-ई-4/4/2000/16-ए** - मध्यप्रदेश पुनर्गठन अधिनियम, 2000 (क्रमांक 28 सन् 2000) की धारा 78 एवं 81 में प्रदत्त शक्तियों को तथा **मध्यप्रदेश औद्योगिक नियोजन (स्थाई आदेश) अधिनियम, 1960** (क्रमांक 26 सन् 1961) की धारा 3-ए के द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए राज्य शासन एतद्द्वारा श्री एच.आर. द्विवेदी, उप श्रमायुक्त, छत्तीसगढ़, रायपुर को इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशित के दिनांक से छत्तीसगढ़ राज्य के लिए "प्रमाणीकरण अधिकारी" नियुक्त करता है।

*[छत्तीसगढ़ राजपत्र दिनांक 1-11-2000, पृष्ठ 16 पर प्रकाशित]*

---



Scanned by CamScanner